

भारत सरकार
कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोकसभा

अतारांकित प्रश्न संख्या. 1161

(सोमवार, 08 दिसंबर, 2025/17 अग्रहायण, 1947 (शक) को उत्तर के लिए)

एमसीए 21 पोर्टल में तकनीकी गड़बड़ियां

1161. श्री बिद्युत बरन महतो:
श्री मुकेशकुमार चंद्रकांत दलाल:
श्री बलभद्र माझी:
श्री लुम्बाराम चौधरी:
श्री जसवंतसिंह सुमनभाई भाभोर:
श्री योगेन्द्र चांदोलिया:
श्री मुरसोली एस .:
श्री विजय कुमार दूबे:
श्री दुलू महतो:
श्री दिनेशभाई मकवाणा:
श्री रवीन्द्र शुक्ला उर्फ रवि किशन:
श्री बिभु प्रसाद तराई:
श्री अनिल फिरोजिया:
श्री धर्मबीर सिंह:
डॉ. प्रभा मल्लिकार्जुन:

क्या कारपोरेट कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) सरकार विशेषकर गुजरात के दाहोद जिले में एमसीए 21 वी3 पोर्टल के प्रारंभिक चरण के दौरान, तृतीय पक्ष संपरीक्षा द्वारा एमएसएमई/हितधारकों द्वारा बताई गई तकनीकी गड़बड़ियों और सर्वर क्षमता संबंधी समस्याओं में कमी का आकलन किस प्रकार कर रही है;
- (ख) एओसी-4 और एमजीटी-7 जैसे उच्च-श्रुपट फॉर्मों की स्ट्रेट श्रू प्रोसेसिंग (एसटीपी) की सफलता दर क्या है;
- (ग) क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा एनालिटिक्स सुविधाओं को नव निर्मित वी3 प्रवर्तन मॉड्यूल में एकीकृत किया गया है; और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (घ) क्या सरकार ने विशेषकर उक्त जिले में उक्त वी3 पोर्टल के ई-फॉर्म और डिजिटल हस्ताक्षर सुविधाओं का उपयोग करने के लिए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों और उनके पेशेवरों के लिए सरल प्रशिक्षण मॉड्यूल/हेल्प डेस्क विकसित किए हैं और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ङ) क्या भिवानी और महेंद्रगढ़ सहित आकांक्षी जिलों में, जहाँ हजारों छोटी कंपनियों और पेशेवरों को डिजिटल बाधाओं का सामना करना पड़ता है; समर्पित हेल्प-डेस्क, मोबाहल सुविधा बैन या जिला-स्तरीय जागरूकता शिविर आयोजित किए गए हैं;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो क्या मंत्रालय का स्थानीय एमएसएमई को बी3 डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र में सुचारू रूप से पारगमन करने में सहायता के लिए भिवानी-महेंद्रगढ़ में विशेष एमसीए-जागरूकता शिविरों का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) केंद्र सरकार द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत प्रणालीगत त्रुटियों, फाइलिंग विफलताओं और अनुमोदन, निगमन और वैधानिक प्रपत्रों पर कार्रवाई में होने वाले विलंब को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ज) पिछले पाँच वर्षों के दौरान एमसीए 21 प्लेटफॉर्म पर दर्ज की गई फाइलिंग, अनुमोदन और अस्वीकृतियों की कुल संख्या कितनी है और निगमन, नाम आरक्षण, प्रभार पंजीकरण और अनुपालन फाइलिंग जैसी प्रमुख प्रक्रियाओं के लिए औसत लगने वाला समय कितना है; और

(झ) क्या केंद्र सरकार ने इस रूपरेखा के अंतर्गत अनुपालन में अधिक सरलता, बेहतर डिजिटल विश्वसनीयता और पारदर्शी केंद्रीय निगरानी सुनिश्चित करने के लिए प्रणाली उन्नयन, क्षमता वृद्धि, हितधारक परामर्श या स्वतंत्र संपरीक्षा किए हैं/करने का विचार है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री।

(श्री हर्ष मल्होत्रा)

(क): एमसीए21 वी3 प्रणाली को कई चरणों में लॉन्च किया गया था, जिसका प्रारंभिक चरण मई 2021 से आरम्भ हुआ। एमसीए21 पोर्टल के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग की शुरुआत के प्रारंभिक चरण के दौरान, देश भर में प्रमाणित फाइलिंग केंद्रों (सीएफसी) का एक नेटवर्क स्थापित किया गया था ताकि उन हितधारकों को दस्तावेजों की ई-फाइलिंग के लिए मुफ्त सेवाएं प्रदान की जा सकें जिनके पास आवश्यक कंप्यूटिंग/आईटी अवसंरचना या अपने स्वयं के स्थानों से ई-फाइलिंग के लिए इसका उपयोग करने की क्षमता नहीं थी। वर्षों से इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग को अपनाने के साथ, हितधारकों को अब किसी भी सहायता के लिए केंद्रीकृत हेल्पडेस्क संचालन के माध्यम से सुविधा प्रदान की जा रही है। एमसीए21 वी3 प्लेटफॉर्म की निगरानी 24x7 नेटवर्क ऑपरेशंस सेंटर और एप्लिकेशन मॉनिटरिंग टूल्स के माध्यम से की जाती है। एमएसएमई और दाहोद जिले के हितधारकों सहित हितधारकों द्वारा रिपोर्ट की गई शिकायतों या प्रश्नों को केंद्रीय टिकटिंग प्रणाली के माध्यम से कैप्चर किया जाता है और मूल कारण विश्लेषण के लिए लिया जाता है और उपयुक्त उपचारात्मक कार्रवाई की जाती है।

(ख): एमसीए21 वी3, एओसी-4 और एमजीटी-7/एमजीटी-7क सहित विशिष्ट उच्च-मात्रा वाले प्ररूप के लिए सीधे प्रसंस्करण (एसटीपी) का समर्थन करता है। एमजीटी 7 एक एसटीपी प्ररूप है और शुल्क के भुगतान पर स्वीकृत हो जाता है। 2024-25 के दौरान, कुल 12.68 लाख एमजीटी-7/7क प्ररूप एसटीपी के माध्यम से स्वीकृत किए गए। एओसी-4 एक सशर्त एसटीपी है और सभी सांविधिक मान्यताओं को पूरा करने वाले प्ररूप के अधीन स्वीकृत होता है। 2024-25 के दौरान, हितधारकों द्वारा फाइल किए गए कुल 10.73 लाख एओसी-4 प्ररूप में से 98% सीधे प्रक्रिया के माध्यम से संसाधित किए गए।

(ग): एमसीए21 वी3 में प्रवर्तन और अनुपालन मॉड्यूल सहित डाटा विश्लेषण-संचालित सुविधाएँ एकीकृत की गई हैं। इनमें प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली (इडब्ल्यूएस) और अनुपालन प्रबंधन प्रणाली (सीएमसी) शामिल हैं जो कंपनियों और फाइलिंग के जोखिम-आधारित वर्गीकरण, अलर्ट और अपवाद रिपोर्टों के स्वचालित निर्माण और गैर-अनुपालन के पैटर्न विश्लेषण का उपयोग करती हैं।

(घ): मंत्रालय ने एमसीए21 पोर्टल के माध्यम से, एमएसएमई और पेशेवरों को ई-प्ररूप और डिजिटल हस्ताक्षर जैसी अन्य सुविधाओं का उपयोग करने में मदद करने के लिए, वेब-आधारित प्ररूप में चरण-दर-चरण ई-प्ररूप फाइलिंग मैनुअल, वीडियो गाइड, अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न और सिस्टम प्रॉम्प्ट सहित मार्गदर्शन सामग्री विकसित और उपलब्ध कराई है। इसके अतिरिक्त, दाहोद और अन्य जिलों सहित देश भर के हितधारकों की सहायता के लिए एक केंद्रीय हेल्पडेस्क (टोल-फ्री नंबर, ई-मेल और लाइव-चैट सुविधा) भी स्थापित की गई है।

(ङ) और (च): एमसीए, भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान (आईसीएआई) और भारतीय कंपनी सचिव संस्थान (आईसीएसआई) जैसे पेशेवर संस्थानों के सहयोग से, और अपने क्षेत्रीय निदेशालयों और कंपनी रजिस्ट्रारों के माध्यम से, वी3 डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र में सुचारु परिवर्तन सुनिश्चित करने के लिए एमसीए21 वी3 प्रणाली पर नियमित रूप से हितधारक जागरूकता कार्यक्रम, वेबिनार और जागरूकता शिविर आयोजित करता है। 2025 के दौरान, हितधारक जागरूकता के लिए आईसीएसआई और आईसीएआई की मदद से लगभग 50 वेबिनार और 10 उपयोगकर्ता सत्र आयोजित किए गए।

(छ): एमसीए21 पोर्टल से संबंधित शिकायतों के समाधान हेतु एक हेल्पडेस्क तंत्र स्थापित किया गया है। पोर्टल पर हेल्पडेस्क टिकट सृजित किए जाते हैं। इन टिकटों में तकनीकी समस्याओं, प्रसंस्करण संबंधी अनुरोधों और हितधारकों के सुझावों या प्रतिक्रिया सहित कई मुद्दे शामिल होते हैं। हेल्पडेस्क प्रणाली में समाधानों की गुणवत्ता का आकलन करने के लिए एक उपयोगकर्ता प्रतिक्रिया तंत्र शामिल है। शिकायत निवारण की गुणवत्ता को और बेहतर बनाने के लिए, एमसीए ने टिकट बंद होने की समीक्षा हेतु पेशेवर संस्थानों के साथ साझेदारी की है। इन संस्थानों की एक समर्पित टीम शिकायतों के निपटान की निगरानी और टिकट बंद होने के बाद उपयोगकर्ता प्रतिक्रिया एकत्र करने के लिए एमसीए के साथ मिलकर काम करती है। टिकट समाधानों की प्रभावशीलता और गुणवत्ता की नियमित रूप से समीक्षा की जाती है।

इसके अतिरिक्त, तकनीकी मुद्दों के समाधान के लिए आवश्यकतानुसार उपाय किए जाते हैं, जिनमें अनुप्रयोग कोड और अवसंरचना विन्यास का निरंतर अनुकूलन शामिल है।

(ज): एमसीए21 एक लेन-देन-भारी प्रणाली है जो हर साल बड़ी संख्या में ई-प्ररूप संसाधित करती है। पिछले पाँच वर्षों (2020-2025) में, एमसीए21 पोर्टल पर कुल 3.84 करोड़ फाइलिंग की गईं। इनमें से 3.33 करोड़ फाइलिंग को सीधी प्रक्रिया के माध्यम (एसटीपी) से अनुमोदित किया गया, 40.8 लाख फाइलिंग को संबंधित कंपनी रजिस्ट्रार और क्षेत्रीय निदेशकों द्वारा अनुमोदित किया गया, कुल 8.3 लाख फॉर्म अधिकारियों द्वारा अस्वीकार कर दिए गए और लगभग 1 लाख प्ररूप अन्य श्रेणी (प्रसंस्करणाधीन, रद्द आदि) में हैं।

पिछले पाँच वर्षों में कंपनी निगमन और नाम आरक्षण के लिए औसत टर्नअराउंड समय 1 से 2 दिनों के बीच रहा है, और शुल्क पंजीकरण तुरंत हो जाता है। स्ट्रेट थ्रू प्रोसेस मोड के माध्यम से स्वीकृत प्ररूप के लिए एमजीटी 7/7क और एओसी 4 जैसी प्रमुख अनुपालन फाइलिंग तुरंत हो जाती है।

(झ): फाइलिंग के व्यस्ततम अवधि के दौरान, अतिरिक्त एप्लिकेशन और डाटाबेस सर्वरों की तैनाती के माध्यम से क्षमता बढ़ाई जाती है। मंत्रालय के अधिकारियों, एमसीए21 सेवा प्रदाता, परियोजना निगरानी इकाई/परामर्शदाताओं और पेशेवर संस्थानों के प्रतिनिधियों सहित एक संयुक्त तकनीकी टीम का गठन किया जाता है ताकि प्रसंगों की निगरानी की जा सके और शिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर समाधान किया जा सके। इसके अतिरिक्त, हितधारकों द्वारा बताई गई समस्याओं का शीघ्र समाधान करने के लिए नियमित रिलीज़-प्रबंधन और बग-फिक्स चक्र लागू किए जाते हैं।
